

प्रेषक,-

जिता बेसिक शिक्षा अधिकारी  
वाराणसी।

सेवा भे.

प्रबन्धक,

सी०एफ०आई० माडल स्कूल  
दीनदासपुर, ओदास-वाराणसी।

पत्रांक/बेसिक/ 14179-81 /2018-2019/ दिनांक : 31.3.2019  
विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 के नियम-15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 26-08-2018 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार /निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं सी०एफ०आई० माडल स्कूल दीनदासपुर, ओदास-वाराणसी को तारीख 01-04-2019 से तारीख 31-03-2022 तक तीन वर्ष की अवधि तक के लिये कक्षा नवंसी से कक्षा 08 तक के लिये अनन्तिम अंग्रेजी भाष्यम से मान्यता प्रदान करने की संस्वेदना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विषयित नहीं है।
  - 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 (उपांचं 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपांचं 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
  - 3- विद्यालय कक्षा-1 में (या यथास्थिति, नवंसी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
  - 4- पैरा-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
  - 5- सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या सेरक्षक को किसी स्कॉलरशिप प्रदान करेगा।
  - 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
  - (I) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - (II) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
  - (III) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
  - (IV) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकारित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।
  - (V) अधिनियम के उपांचं के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - (VI) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हतायें नहीं हैं, पौंच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हतायें अर्जित करेंगे।
  - (VII) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
  - (VIII) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

॥

- |     |  |              |
|-----|--|--------------|
| 8—  | विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संग्रहालयों को बनाये रखेगा। अर्तिम<br>निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं—  |              |
|     | विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल—   | 7000 वर्गफिट |
|     | कुल निर्मित क्षेत्र—   | 6000 वर्गफिट |
|     | क्रीड़ास्थल का क्षेत्रफल—  | —            |
|     | कक्षाओं की संख्या—   | 10           |
|     | प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह भण्डागार के लिये कक्षा—02  |              |
|     | बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय—  | उपलब्ध       |
|     | पेयजल सुविधा—  | उपलब्ध है।   |
|     | मिड-डे—मील पकाने के लिये रसोई—   | — —          |
|     | बाधा रहित पहुँच—   | उपलब्ध है।   |
|     | अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपरकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता— है  |              |
| 9—  | विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेगी।  |              |
| 10— | विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाता है।   |              |
| 11— | विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रतृति किसी विधि के अधीन गतित किसी लोक व्यास द्वारा चलाया जा रहा है।   |              |
| 12— | स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।  |              |
| 13— | विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टड एकान्टेन्ट द्वारा संपीड़का की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।   |              |
| 14— | आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक प्रमाण में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।  |              |
| 15— | विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुदाय सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमीयों को नुर करने के लिये जारी किये जायें। |              |
| 16— | सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।  |              |
| 17— | विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्गत मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विधिक उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धतंत्र का होगा।  |              |

पात्रिका

४  
(जग रिह)  
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
वाराणसी

पृष्ठां: / वेसिक / 2018-2019 / चर्चा तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यताही हेतु प्रेषित।  
 1— मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) पंचम मण्डल, वाराणसी।  
 2— सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/प्रामाण क्षेत्र वाराणसी।

(जय रिंह)  
जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी  
वाराणसी